

पत्रांक:- 1930

दिनांक:- 4/07/2023

बिहार सरकार

**बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना**

विज्ञापन सं०-01/2023 (सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी))
विज्ञापन सं०-02/2023 (सहायक निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलॉजी))
विज्ञापन सं०-03/2023 (सहायक निदेशक (पीडीयाट्रिक्स कार्डियोलॉजी))

शुद्धि पत्र-सह-आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-01/2023-03/2023, सहायक निदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक-04.01.2023 से 03.02.2023 तक Online आवेदन प्राप्त किया जाना था। परन्तु, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-97(17), दिनांक-30.01.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में आयोग के पत्रांक-290, दिनांक-01.02.2023 के द्वारा उक्त पदों पर Online आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-17/आई 1-04/2013-486 (17), दिनांक-13.05.2023 द्वारा अधिसूचित इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-560(17), दिनांक-31.05.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में अभ्यर्थियों के अधिकतम आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क को कोटिवार निम्नवत् संशोधित किया गया है:-

(1)

क्र०सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (पुरुष)	45 वर्ष
2	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला), पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	48 वर्ष
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग (पुरुष एवं महिला)	50 वर्ष

नोट:- बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र-सीमा 50 वर्ष होगी।

(2)

क्र०सं०	उम्मीदवार की कोटि	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 200/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/(बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रु० 200/-
5	बिहार राज्य के दिव्यांग	रु० 50/-

(3) बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र-सीमा 50 वर्ष होगी।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक-05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

तदनुसार सभी अभ्यर्थियों से पुनः Online आवेदन करने हेतु दिनांक-04.07.2023 से दिनांक-19.07.2023 तिथि निर्धारित किया जाता है।

- नोट:—(i) अभ्यर्थी Online आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व Website पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे।
- (ii) शैक्षणिक प्रमाण-पत्र यथा— MBBS, M.D./M.S., D.M./M.Ch. का प्रमाण-पत्र/औपबंधिक प्रमाण-पत्र (Certificate/Provisional Certificate) एवं अंक पत्र (Marksheet) दिनांक—02.02.2023 के पूर्व का निर्गत होने पर मान्य होगा। शेष प्रमाण-पत्र दिनांक—19.07.2023 तक का निर्गत मान्य किया जायेगा। किन्तु कार्यानुभव अवधि की गणना विज्ञापन की कंडिका—3, टिप्पणी—I(iv) के अनुसार दिनांक—03.01.2023 तक ही की जायेगी।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में कोटि का दावा नहीं करने पर कोटि का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iv) कोटि का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को कोटि का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही कोटि प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (v)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:—
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:—
- (a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।
- (vi) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कोटि का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या—673, दिनांक—08.03.2021 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—15760, दिनांक—02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
- (viii) उक्त विज्ञापनों के अन्तर्गत पदों की रिक्तियों में कोटिवार आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं है।
- (ix) वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में Online आवेदन भर चुके हैं, उन्हें दुबारा Online आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है।
- (x) विज्ञापन सं०—01/2023 – 03/2023 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

304
28.6.2023
उप सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।